सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर

वादीगण :–

1. वीरसिंह 2. कमलसिंह 3. भूरसिंह 4. दुर्गाकंवर पि0 सजनसिंह, जाति राजपूत, निवासी आसाड़ी, तहसील गगडरारोड़, जिला बाड़मेर

प्रतिवादी :–

सजनसिंह पुत्र हमीरसिंह, जाति राजपूत, निवासी आसाड़ी, तह0 गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राज0 का0 अधि0 **राजस्व वाद :– 5/2018**

30.06.2018	पत्रावली आज बमुकाम लोक अदालत मेगा कैम्प शिव में पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वादीगण के वाद का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी पुश्तैनी सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम आसाडी तहसील गडरारोड की खसरा नम्बर 603/233 रकबा 67.07 बीघा, ग्राम आसाड़ी सिन्धियान के ख0 न0 163, 648/118 व 672/159 रकबा क्रमशः 112.08, 160 व 42.05 बीघा तथा ग्राम कुवड़िया के ख0 न0 91 रकबा 51.11 बीघा कुल रकबा 433.11 बीघा में अवस्थित है। पक्षकारान जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शासित होते हैं। हिन्दु विधि के अनुसार दादा की सम्पति में पोतों का जन्मतः हक होता है। इस प्रकार उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी का बनता है। इसी अनुसार पक्षकारान वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के दादा हमीरसिंह के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाकर वादीगण के कब्जाकाश्त की भूमि में लगातार दखलंदाजी कर किसी अन्य को बेचान करने पर आमादा है। अतः वादीगण ने प्रतिवादी के साथ अपने नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वादिनी संख्या 4 ने आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत स्वयं को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया जाकर वादिनी को पक्षकार बनाया गया। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में मजमे आम में पूछताछ की गई। पक्षकारान के बयान कलमबद्ध किये गये। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी एवं वादग्रस्त भूमि की खतौनी बंदोबस्त प्रस्तुत की। प्रतिवादी अधिवक्ता ने इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद के समस्त तथ्यों की ताइद करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादिनी संख्या 2 को अपने साथ बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने दोनों पक्षों को वाद के तथ्यों पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। वादपत्र पर अंकित वंशवृक्ष एवं बन्दोबस्त रेकर्ड से स्पष्ट है कि पक्षकार मुतवफी हमीरसिंह के वारीस हैं तथा वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक सम्पति है। पक्षकार जाति से राजपूत होने से हिन्दु विधि से शासित होते हैं और इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी का बहिस्सा बराबर हक होना साबित है। मजमे आम में की गई पूछताछ से सजनसिंह के वारिसान में उनके तीन पुत्र एवं एक पुत्री वादीगण ही होने तथा उनके अतिरिक्त उसके अन्य कोई जीवीत या मृत वारीस नहीं होने एवं वादग्रस्त भूमि पर प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर बहिस्सा	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

बराबर कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब के अनुसार वह वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में अपने साथ वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु सहमत हैं।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसाड़ी तहसील गडरारोड़ की खसरा नम्बर 603/233 रकबा 67.07 बीघा, ग्राम आसाड़ी सिन्धियान के ख0 न0 163, 648/118 व 672/159 रकबा क्रमशः 112.08, 160 व 42.05 बीघा तथा ग्राम कुबड़िया के ख0 न0 91 रकबा 51.11 बीघा कुल रकबा 433.11 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण को प्रतिवादी के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/5 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को बमुकाम लोक अदालत मेगा कैम्प शिव सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर, शिव
(SDO)

Scanned by CamScanner